(327)

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

126 SEP 2012

क्रमांक क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक

जिला कलक्टर,

(समस्त) राजस्थान

विषयः—नगर सुधार न्यास/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों के पैराफेरी क्षेत्रों में स्थित सिवायचक भूमियों को न्यास/प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों के नाम हस्तान्तरित करने बाबत्

प्रसंगः— राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.6 (9) राजस्व -6 /96 पार्ट जयपुर दिनांक 02 जून, 2009 एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.3(1186)/नविवि /3/2010 जयपुर दिनांक 22.10.2010 व मुख्य सचिव महोदय की ओर से प्रेषित पत्र क्रमांक एफ.7(ड़)(अभियान 2011)(भूमि) डीएलबी 11/5955-5988 दिनांक 02.12.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना दिनांक 02 जून, 2009 द्वारा जयपुर/जोधपुर प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों एवं स्थानीय निकायों के नगरीयकरण सीमाओं में स्थित राजकीय भूमि को प्राधिकरणों, न्यासों एवं स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित करने के लिए एवं भूमि का पूंजीगत मूल्य जमा कराने के तत्काल बाद उक्त भूमियों को सम्बन्धित न्यास/प्राधिकरण एवं स्थानीय निकाय के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलेखित करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त अधिसूचना के क्रम में नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र दिनांक 22.10.2010 द्वारा राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसरण में नगरीयकरण सीमा में स्थित राजकीय भूमियों को सम्बन्धित न्यास, प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों को तत्काल स्थानान्तरित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

इसी क्रम में मुख्य सचिव की ओर से भी प्रासंगिक पत्र दिनांक 02.12.2011 द्वारा पुनः निर्देश दिये गये थे की सभी जिला कलक्टर्स व्यक्तिगत रूचि लेकर दिनांक 15.12.2011 तक सिवायचक भूमियों का हस्तान्तरण सम्बन्धित निकाय न्यास एवं प्राधिकरण को करेंगें।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में माह नवम्बर/दिसम्बर 2012 से "प्रशासन शहरों के संग अभियान" चलाया जायेगा। अभियान के दौरान स्थानान्तरित की जाने वाली सरकारी भूमियों पर स्थानीय निकाय द्वारा योजनाऐं बनायी जाकर भूखण्डों का आवंटन/पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है। इसी प्रकार भूमि हस्तान्तरित होने पर स्थानीय निकायों द्वारा मुख्यमंत्री शहरी बी.पी.एल.आवास योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण भी किया जाना संभव हो सकेगा। उक्त

उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नगरीयकरण सीमा [illegible] राजकीय भूमियों का तत्काल हस्तान्तरण निकायों को किया जाना [illegible] है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि [illegible] लेकर राजकीय भूमियों का [illegible] सम्बन्धित [illegible] प्राधिकरण/स्थानीय निकाय को स्थानान्तरित करना एवं इन भूमियों का निकायों के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलेखित कराना सुनिश्चित करें।

कई जिलों में (विशेषतः अजमेर) नगरीय क्षेत्रों में स्थित कस्टोडियन भूमियों पर आबादी विकसित हो चुकी है एवं इन [illegible] का स्थानीय निकायों/न्यास/प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरण नहीं होने के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों को भूखण्डों का पट्टा/लीज डीड आदि जारी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः नगरीय क्षेत्रों में स्थित कस्टोडियन भूमियों को तत्काल स्थानीय निकायों/न्यास एवं प्राधिकरणों को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था की जावे ताकि राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान उक्त भूमियों पर विकसित हुयी आबादी के पट्टे/लीज डीड, राजकीय भूमि के नियमन के लिए निर्धारित राशि ली जाकर, जारी किया जाना संभव हो सके।

(सी.के.मैथ्यू)
मुख्य सचिव